



पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मीयलोक कम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, पटना-800001

पत्र संख्या- 5382 /प0न0नि0



प्रेषक,

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री राहुल कुमार, निदेशक,

अंशुल होम्स् प्राईवेट लिमिटेड,

पिता-श्री बिनोद कुमार सिंह,

मोहल्ला फ्लैट संख्या-202, ब्लॉक-सी,

धनेश दत्त अपार्टमेन्ट, गोला रोड, बेली रोड,

थाना-रूपसपुर, पटना-801503

पटना, दिनांक- 01/06/2017 ई0।

विषय:- प्लान केस सं०-P/Sipara/PRN/G+4/30/2017 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं०-P/Sipara/PRN/G+4/30/2017 दिनांक-21.01.2017 के संदर्भ में श्री राहुल कुमार, निदेशक, अंशुल होम्स् प्राईवेट लिमिटेड, पिता-श्री बिनोद कुमार सिंह, मोहल्ला फ्लैट संख्या-202, ब्लॉक-सी, धनेश दत्त अपार्टमेन्ट, गोला रोड, बेली रोड, थाना-रूपसपुर, पटना भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-488 (अंश), तौजी संख्या-5203, खाता संख्या-02, थाना सं०-27, थाना-बेऊर, मौजा-सिपारा, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 481.23 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 11.10 मीटर (औसतन) चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी

P.T.O.

योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 30.35 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबन्धन अनिवार्य होगा।
- (ठ) कोई अन्य शर्त।

विश्वासभाजन

Satyendra
8/11/17

उप निदेशक, शहरी योजना,
46 पटना नगर निगम, पटना।

“बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना”